्यालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

नं०	तारीख दायरा	तारीख फैसला
/ 2025	18.06.2025	9/1/26

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– चन्द्रकला मीना पुत्री रामनाथ जाति मीना निवासी मेहंदी तहसील दीगोद कोटा

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न खसरा नम्बरान की 19 किता की 20–01 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 संलग्न है।

खसरा नम्बर 251 की 0–81 हेक्टर, खसरा नम्बर 345 की 1–84 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 1–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 351 की 0–45 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 की 0–67 हेक्टर, खसरा नम्बर 388 की 3–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 401 की 2–93 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 की 0–19 हेक्टर, खसरा नम्बर 569 की 0–54 हेक्टर, खसरा नम्बर 570 की 0–25 हेक्टर, खसरा नम्बर 574 की 0–35 हेक्टर,खसरा नम्बर 575 की 2–16 हेक्टर, खसरा नम्बर 610 की 0–94 हेक्टर, खसरा नम्बर 638 की 0–77 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 693 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0–18 हेक्टर, खसरा नम्बर 700 की 2–85 हेक्टर, कुल 19 किता की 20.01 हेक्टर भूमि

2– यह कि उक्त भूमि वादनी व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि में वादनी के पिता रामनाथ जी का 1/3 हिस्सा दर्ज था उनकी मृत्यु के बाद वादनी व भ्राता अमरलाल व बहिन कान्ती बाई का नाम दर्ज हुआ । वादनी का 1/9 हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम सहवन से काली बाई दर्ज हो गया है जब कि वादनी का नाम चन्द्रकला मीणा है। वादनी के जन आधार कार्ड, व पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि में चन्द्रकला मीणा दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

बाई के स्थान पर चन्द्रकला मीना दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना उत है।

3– यह कि वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग अलग होने कारण कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और न बैंक से ऋण मिल रहा है। जिस रण वादनी ने प्रतिवदी के कर्मचारियों को नाम दुरूस्त करने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। इस कारण वादनी के लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

4– यह कि वाद कारण वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण दिनांक 2–7–2024 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नहीं करने व अदालत में कार्यवाही करनी कहने पर पैदा हुआ।

5– यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एंव इमीजिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है व छूट हेतु आवेदन पत्र पेश है।

6– यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। और वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित फरमायी जावे–

1–कि ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 251 की 0–81 हेक्टर, खसरा नम्बर 345 की 1–84 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 1–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 351 की 0–45 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 की 0–67 हेक्टर, खसरा नम्बर 388 की 3–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 401 की 2–93 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 की 0–19 हेक्टर, खसरा नम्बर 569 की 0–54 हेक्टर, खसरा नम्बर 570 की 0–25 हेक्टर, खसरा नम्बर 574 की 0–35 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 की 2–16 हेक्टर, खसरा नम्बर 610 की 0–94 हेक्टर, खसरा नम्बर 638 की 0–77 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 693 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0–18 हेक्टर, खसरा नम्बर 700 की 2–85 हेक्टर कुल 19 कित्ता की 20–01 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम काली बाई के स्थान पर चन्द्रकला मीना दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2–कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

वादीनी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2072–2075 ग्राम मेहन्दी खाता सं०नया 6

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत पडासलिया द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र
नकल छाया प्रति जनाधार कार्ड
. नकल छायाप्रति पेन कार्ड
5. नकल छायाप्रति राशन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई तिवादी तहसीदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया या। तत्पश्चात प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में वादीनी स्वयं का शपथ पत्र पूर्व में शामिल मिसल है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादनी का नाम काली बाई के स्थान पर काली बाई उर्फ चन्द्रकला मीना किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 251 की 0–81 हेक्टर, खसरा नम्बर 345 की 1–84 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 1–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 351 की 0–45 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 की 0–67 हेक्टर, खसरा नम्बर 388 की 3–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 401 की 2–93 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 की 0–19 हेक्टर, खसरा नम्बर 569 की 0–54 हेक्टर, खसरा नम्बर 570 की 0–25 हेक्टर, खसरा नम्बर 574 की 0–35 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 की 2–16 हेक्टर, खसरा नम्बर 610 की 0–94 हेक्टर, खसरा नम्बर 638 की 0–77 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 693 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0–18 हेक्टर, खसरा नम्बर 700 की 2–85 हेक्टर कुल 19 कित्ता की 20–01 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम काली बाई के स्थान पर काली बाई उर्फ चन्द्रकला मीना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(न्या)यालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

(पी)ठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– चन्द्रकला मीना पुत्री रामनाथ जाति मीना निवासी मेहंदी तहसील दीगोद कोटा (वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल नं 79/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 251 की 0–81 हेक्टर, खसरा नम्बर 345 की 1–84 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 1–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 351 की 0–45 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 की 0–67 हेक्टर, खसरा नम्बर 388 की 3–04 हेक्टर, खसरा नम्बर 401 की 2–93 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 की 0–12 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 की 0–19 हेक्टर, खसरा नम्बर 569 की 0–54 हेक्टर, खसरा नम्बर 570 की 0–25 हेक्टर, खसरा नम्बर 574 की 0–35 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 की 2–16 हेक्टर, खसरा नम्बर 610 की 0–94 हेक्टर, खसरा नम्बर 638 की 0–77 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 693 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 697 की 0–18 हेक्टर, खसरा नम्बर 700 की 2–85 हेक्टर कुल 19 कित्ता की 20–01 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम काली बाई के स्थान पर काली बाई उर्फ चन्द्रकला मीना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 9/1/26 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)